

उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध रिविजन वाद संख्या — 01/2015

जसीम अख्तर बनाम गुरुचरण मुण्डा वर्गे०

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की क्रम  
संख्या और तारीख

आदेश पर की गई<sup>1</sup>  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख सहित

—: आदेश :—

01/11/2019

अभिलेख उपस्थापित। भूमि सुधार उप—समाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर विविध अपील वाद संख्या—08/2011—12 जसीम अख्तर बनाम् गुरुचरण मुण्डा में दिनांक 29.01.2013 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर रिविजन वाद पर सुनवाई की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित खतियानी रैयत के वंशज होने के कारण उक्त भूमि का वास्तविक उत्तराधिकारी है। राजस्व पंजी में विपक्षी के नाम से कायम जमाबन्दी/निर्गत लगान रसिद् विधि—संगत नहीं है, जिसे रद्द करते हुए अपीलार्थी के नाम से जमाबन्दी कायम कर लगान रसिद् निर्गत करने हेतु अनुरोध किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि विधिवत् हस्तान्तरण के पश्चात् विपक्षी के पूर्वज दखकार हुए, जिसकी जमाबन्दी राजस्व पंजी में दर्ज है तथा लगान रसिद् निर्गत है। इनका यह भी कहना है कि वर्षों से विपक्षी के नाम से कायम जमाबन्दी/लगान रसिद् को रद्द करने हेतु अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन पोषणीय नहीं है, निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत् रखने हेतु अनुरोध किया है।

विवादित भूमि के बवात् अंचल कार्यालय, रामगढ़ में विविध वाद संख्या—03/2010—11 प्रारम्भ की गई। जिसमें विधिवत् सुनवाई करते हुए अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा दिनांक—15.09.2011 को आदेश पारित किया गया, की द्वितीय पक्ष की जमाबन्दी जबतक सक्षम न्यायालय से रद्द नहीं किया जाता, तबतक नया जमाबन्दी कायम कर लगान रसीद निर्गत करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में विविध अपील वाद संख्या—8/2011—12 जसीम अख्तर बनाम् गुरुचरण मुण्डा चला, जिसमें आदेश पारित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर खतियानी रैयत के वारिशानों के द्वारा निष्पादित मोख्तारनामा के आधार पर की गई दावा की पुष्टि अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि मोख्तारनामा के निष्पादकगण खतियानी रैयत के वारिशान हैं, अथवा नहीं है। साथ ही यह भी आदेश परित किया गया कि राजस्व पंजी II के पेज नं०—15/I पर विपक्षी के पूर्वज तनु मुण्डा (बन्दोवस्तीधारी रैयत) पिता झलु मुण्डा के नाम से जमाबंदी कायम है तथा लगान रसीद निर्गत है। विपक्षीगण के नाम से लम्बी अवधि से कायम जमाबंदी एवं निर्गत लगान रसीद को राजस्व न्यायालय में रद्द नहीं किया जा सकता है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना, निम्न न्यायालय का अभिलेख (संलग्न कागजात), दायर रिविजन आवेदन एवं विपक्षी द्वारा दायर प्रत्योत्तर तथा दावे के समर्थन में समर्पित कागजातों का अवलोकन किया, जिसमें निम्न तथ्य स्पष्ट है :—

- (1)– मौजा-छत्तरमण्डू, थाना नं०-116, थाना- रामगढ़ अन्तर्गत खाता नं०-170, प्लॉट नं०-1680 वगौ० कुल रकबा-11.54 एकड़ भूमि से संबंधित उभय पक्षों के बीच हक-हकियत के संबंध में विवाद है।
- (2)– अपीलार्थी खतियानी रैयत के वंशज होने के कारण प्रश्नगत भूमि पर अपना स्वामित्व का दावा करते हैं, जबकी विपक्षीगण द्वारा सादा हुकुमनाम(बन्दोबस्ती) के माध्यम से हासिल कर दखलकार होने का दावा करते हैं।
- (3)– प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है, जिसकी जमाबन्दी राजस्व पंजी में विपक्षीगण के पूर्वज तनु मुण्डा पिता झलु मुण्डा के नाम से कायम है तथा वर्ष 2012-13 तक लगान रसिद निर्गत है।
- (4)– सर्व खतियान में सफरली कुनजड़ा वो मीर अली कुनजड़ा पिता अहलाद कुनजड़ा का नाम दर्ज है, जबकि रिविजन वाद में खतियानी रैयत एवं खतियानी रैयत के वंशज होने का दावाकर्ता अपीलार्थी के नाम से राजस्व पंजी में जमाबन्दी कायम नहीं है।
- (5)– यह मामला विपक्षीगण के नाम से कायम जमाबन्दी एवं निर्गत लगान रसिद का रद्दीकरण (Cancellation) तथा प्रश्नगत भूमि के बावत् उभय पक्षों के बीच स्वामित्व का विवाद है, जिसके लिए यह न्यायालय सक्षम प्राधिकार अन्तर्गत नहीं आता है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असहमत होने का कोई आधार नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा दायर रिविजन आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापिता एवं संशोधित

उपायुक्त,  
रामगढ़।

उपायुक्त,  
रामगढ़।

17/11/19  
17/10/20

01/11/19